UPSP010072682026

**न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12, सहारनपुर ।**

पीठासीन अधिकारी– निशान्त देव, उच्चतर न्यायिक सेवा (जे.ओ.कोड–यू.पी.1704)

**अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–3079/2026**

महताब उर्फ बन्टी पुत्र शहीद निवासी मिर्जापुर पोल, कस्बा व थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर ।
..... प्रार्थी/अभियुक्त

**बनाम**

राज्य ..... अभियोजन

मु0अ0सं0– 160/2026
धारा– 8/20/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना–मिर्जापुर, जिला– सहारनपुर।

**21–07–2026**

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **महताब उर्फ बन्टी** पुत्र शहीद की ओर से मु०अ०सं०– 160/2026, धारा– 8/20/29 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय में ना तो प्रस्तुत किया गया है, ना विचाराधीन है और ना ही निरस्त हुआ है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 31.05.2026 को वादी उ0नि0 अवशेष भाटी मय अन्य पुलिस कर्मचारीगण के थाना हाजा से बहवाले रपट नं0 35 समय 17:10 बजे रवाना होकर जब ग्राम मिर्जापुर से विकासनगर रोड पर पजना का पुल के पास एकीकृत ठोस अपशिष्ट केन्द्र के पास पहुंचे तो एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया जो पुलिस वालो को देखकर नीचे की तरफ नदी के किनारे किनारे चलने लगा। पुलिस वालो ने शक होने पर एक बारगी दबिश देकर इस व्यक्ति को पकड़ लिया। पूछने पर इस व्यक्ति ने अपना नाम **आशिक** पुत्र शकील निवासी ग्राम गाडा रोड मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर बताया और बताया कि मेरे पास अवैध चरस है। वादी उ0नि0 द्वारा पकड़े गये व्यक्ति की इच्छानुसार सहमति पत्र अं0धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के अनुसार तैयार किया। पकड़े गये व्यक्ति की जामातलाशी लेने पर इस व्यक्ति की पहनी शर्ट के अन्दर से काली पन्नी के अन्दर अवैध **चरस** बरामद हुई। बरामद चरस को विवेचना किट से इलेक्ट्रॉनिक कांटा निकालकर तोला गया तो कुल वजन मय पन्नी **585 ग्राम** अवैध चरस है। अभियुक्त को इसके जुर्म धारा से अवगत कराकर समय करीब 18:10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। पूछने पर बताया कि यह चरस मैं अपने परिचित **महताब उर्फ बन्टी** पुत्र शहीद निवासी ग्राम मिर्जापुर सहारनपुर से खरीद कर लाया था। उक्त आधार पर अभियुक्तगण आशिक व महताब उर्फ बन्टी के विरुद्ध धारा 8/20/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त महताब उर्फ बन्टी द्वारा अपने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है और तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी को वाद उक्त में रंजिश की बिनाह पर झूठा व गलत अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी के विरुद्ध कोई अपराध उपरोक्त धाराओं का नहीं बनता है। प्रार्थी उक्त वाद के सहअभियुक्त से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी व सहअभियुक्त के परिवार के बीच काफी समय से रंजिश चली आ रही है, जिसकी बाबत सहअभियुक्त प्रार्थी से रंजिश रखता है और प्रार्थी को महज आपसी रंजिश के कारण उक्त वाद में झूठा नामित किया है। प्रार्थी का उक्त सहअभियुक्त से बरामदगी का कोई लेना देना नहीं

है और न ही प्रार्थी कभी सहअभियुक्त के साथ इस प्रकार के कियाकलाप में शामिल रहा है। प्रार्थी को उक्त वाद में मात्र सहअभियुक्त के बयान के आधार पर प्रार्थी को नामित किया गया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान विवेचना/विचारण अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस द्वारा सहअभियुक्त **आशिक** को मौके से पकड़े जाने पर जामातलाशी में उसके कब्जे से **585 ग्राम अवैध चरस** की बरामदगी हुई है। गिरफ्तारी के दौरान पकड़े गये सहअभियुक्त आशिक उपरोक्त द्वारा बताया गया कि **यह चरस वह अपने परिचित प्रार्थी/अभियुक्त महताब उर्फ बन्टी से खरीदकर लाता है।** अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रार्थी/अभियुक्त अग्रिम जमानत पर रिहा होने के उपरांत अपराध की पुनरावृत्ति करेगा तथा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

मैंने विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट) एवं प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं प्रस्तुत तर्कों के परिपेक्ष्य में प्रपत्रों का अवलोकन किया।

उपलब्ध प्रपत्रों के परिशीलन से स्पष्ट है कि मामले में पुलिस द्वारा सहअभियुक्त **आशिक** को मौके से पकड़े जाने पर जामातलाशी में उसके कब्जे से **585 ग्राम अवैध चरस** की बरामदगी होना तथा गिरफ्तारी के दौरान पकड़े गये सहअभियुक्त आशिक उपरोक्त द्वारा यह बताना कि **यह चरस वह अपने परिचित प्रार्थी/अभियुक्त महताब उर्फ बन्टी से खरीदकर लाता है,** अभिकथित है। उपरोक्त बरामद चरस के विषय में **केन्द्रीय सरकार के नोटिफिकेशन का आ.1055 (ई). दिनांक 19.10.2001 केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)** के सारणी में निम्न इन्द्राज हैः–

| नोटिफिकेशन में क्र. सं. | पदार्थ का नाम | अल्पमात्रा | वाणिज्यिक मात्रा | सहअभियुक्त से बरामद |
|---|---|---|---|---|
| 23 | चरस | 100 ग्राम | 1000 ग्राम | **585 ग्राम** |

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सहअभियुक्त के कब्जे से बरामद चरस की मात्रा वाणिज्यिक श्रेणी की तो नहीं है, लेकिन **अल्पमात्रा से काफी अधिक है** तथा उक्त बरामद चरस सहअभियुक्त द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त से खरीदना दर्शाया गया है। अभियोजन के अनुसार, प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध **प्रस्तुत प्रकरण के अतिरिक्त एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित 01 अन्य मामला मु0अ0सं0 245/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर भी पंजीकृत है।** मामले के तथ्यों एवं अभियुक्त के पूर्व आपराधिक इतिहास को देखते हुए इस बात की सम्भावना है कि अभियुक्त भविष्य में जमानत का दुरूपयोग कर सकता है। मामले में बरामदगी की मात्रा अधिक है तथा प्रार्थी/अभियुक्त की भूमिका गम्भीर प्रकृति की दर्शायी गयी है। स्वापक औषधियों एवं मादक पदार्थों की अवैध तस्करी किये जाने से बड़ी संख्या में जन समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अतः अपराध की गम्भीरता एवं सामाजिक दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में गुणदोष पर टिप्पणी किये बिना, अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

## <u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **महताब उर्फ बन्टी** पुत्र शहीद की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–**160/2026**, अन्तर्गत धारा–**8/20/29** एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना **मिर्जापुर**, जिला सहारनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत **अग्रिम** जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक : 21–07–2026

(**निशान्त देव**)
विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस० एक्ट)
/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12,
सहारनपुर ।
(जे.ओ. कोड–यू.पी.1704)

Digitally signed by Nishant Dev
Date: 2026.07.21 16:06:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Saharanpur